भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3561

उत्तर देने की तारीख -11/08/2025

सोमवार, 20 श्रावण, 1947 (शक)

कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत नामांकन, रोजगार, पाठ्यक्रम और प्रतिधारण

†3561. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:
एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:
डॉ. नामदेव किरसान:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता योजना (पीएम-एनएपीएस) और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-2022 से वर्ष-वार नामांकित, प्रमाणित और नियोजित उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, जो राज्य, लिंग और सामाजिक श्रेणी के अनुसार वर्ष-वार विभाजित है;

(ख) प्रमाणन के तीन महीने के भीतर वेतनभोगी रोजगार प्राप्त करने वाले प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या, जिसमें औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में अलग-अलग कार्यरत उम्मीदवार शामिल है/कितनी है;

(ग) क्या सरकार नौकरी प्रतिधारण दरों और नियुक्ति के बाद औसत आय का रिकॉर्ड रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वित्त वर्ष 2021-2022 से इन योजनाओं के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और प्रशिक्षकों के विवरण के बारे में अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्यवार संख्या, प्रधान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता योजना (पीएम-एनएपीएस) और वित्त वर्ष 2021-22 से प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) अनुबंध-। में दी गई है। इन योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की लिंग-वार और श्रेणी-वार संख्या अनुबंध-II और अनुबंध-III में दी गई है।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की योजनाओं में, पीएमकेवीवाई के पहले तीन संस्करणों, यानी पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0, के तहत प्लेसमेंट पर नज़र रखी गई, जिन्हें 2015-16 से 2021-22 तक लागू किया गया। पीएमकेवीवाई के इन तीनों संस्करणों में देश भर में 24,37,887 उम्मीदवारों को नौकरी मिली। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने

विविध करियर पथ चुनने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख करने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

एमएसडीई की योजनाओं के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन ने उनके सकारात्मक परिणाम को स्वीकार किया है और प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में उनकी सफलता का उल्लेख किया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

पीएमकेवीवाई : एमएसडीई की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में किया गया था। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित और अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखे गए और आरपीएल घटक के तहत उन्मुख 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने अप्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिले।

जेएसएस : 2020 में जेएसएस योजना के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने उन लाभार्थियों की घरेलू आय को लगभग दोगुना करने में मदद की है, जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला है या वे स्वरोजगार कर रहे हैं। 79% महिला प्रतिनिधित्व, 50.5% ग्रामीण हिस्सेदारी, बेहतर आजीविका के लिए रोजगार में 73.4% बदलाव, प्रत्येक लाभार्थी की औसत आय में 89.1% बदलाव, जेएसएस द्वारा लाभार्थियों का 85.7% जुटाव को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और स्पष्ट होगी कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने व्यावसायिक बदलाव किए हैं। अध्ययन से यह भी पुष्टि हुई है कि योजना में कौशलीकरण का फोकस स्वरोजगार के पक्ष में है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है ।

आईटीआई : एमएसडीई द्वारा 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार मिला (वेतन+स्व, जिनमें से 6.7% स्व-नियोजित हैं)।

एनएपीएस: 2021 में किए गए एनएपीएस के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि इस योजना ने संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की रोज़गार क्षमता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है, और विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। योजना के नए संस्करण में, सरकार के हिस्से को सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

(घ) मंत्रालय प्रासंगिक और उच्च-गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण मानकों को बनाए रखने पर ज़ोर देता है। अवार्डिंग बॉडीज नियमित रूप से पाठ्यक्रमों की समीक्षा और अद्यतनीकरण करती हैं, ताकि वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं के साथ उनका तालमेल सुनिश्चित हो सके। प्रशिक्षण भागीदारों को मानकीकृत प्रशिक्षण वितरण प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है, और प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे (एनएसक्यूएफ) के मानदंडों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप डिजिटल, मिश्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए शिक्षण पद्धतियाँ भी विकसित की गई हैं।

अनुबंध-।

'कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत नामांकन, रोजगार, पाठ्यक्रम और प्रतिधारण' के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3561 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क. वित्त वर्ष 2021-22 से पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्यवार संख्या

राज्य	वित्त वर्ष 21-22	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 23-24	वित्त वर्ष 24-25	वित्त वर्ष-25-26 (30 जून 2025 तक)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	613	310	648	909	30
आंध्र प्रदेश	13,199	5,798	32,423	35,451	2,240
अरुणाचल प्रदेश	8,884	667	4,152	10,054	125
असम	24,517	8,721	38,190	75,162	5,279
बिहार	47,643	12,213	23,583	99,960	3,086
चंडीगढ़	893	491	319	628	122
छत्तीसगढ	9,495	4,356	8,337	16,461	311
दिल्ली	19,965	2,262	10,686	12,253	1,276
गोवा	604	176	183	236	-
गुजरात	35,001	6,503	19,975	39,736	432
हरियाणा	18,191	8,963	27,365	75,305	7,876
हिमाचल प्रदेश	8,724	3,539	5,348	19,275	2,657
जम्मू और कश्मीर	21,339	7,352	28,875	85,490	3,562
झारखंड	34,233	5,302	8,796	30,021	1,016
कर्नाटक	23,153	8,410	13,025	69,431	5,453
केरल	12,968	5,673	8,802	10,456	718
लद्दाख	731	246	445	312	-
लक्षद्वीप	120	-	-	120	-
मध्य प्रदेश	46,659	21,345	34,833	2,58,623	11,720
महाराष्ट्र	39,864	14,913	35,257	74,939	3,901
मणिपुर	6,424	1,146	2,879	20,798	846
मेघालय	3,406	1,245	2,502	7,908	341
मिजोरम	4,742	1,162	3,609	6,861	1,411
नागालैंड	4,184	1,803	3,830	7,299	542
ओडिशा	12,645	12,116	21,429	26,185	1,293
पुदुचेरी	1,622	689	1,556	3,096	512
पंजाब	18,539	7,568	11,816	1,06,401	6,048
राजस्थान	38,511	9,232	23,551	2,79,609	9,615
सिक्किम	1,322	381	2,802	2,874	-
तमिलनाडु	29,057	8,029	34,509	85,713	5,246
तेलंगाना	13,107	8,040	15,390	22,188	3,873

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	252	31	301	1,407	-
त्रिपुरा	4,490	1,608	5,005	14,256	928
उत्तर प्रदेश	69,015	25,568	71,569	4,63,569	23,944
उत्तराखंड	10,522	2,942	11,584	35,290	2,037
पश्चिम बंगाल	31,406	12,370	25,766	36,410	2,571
कुल	**6,16,040**	**2,11,170**	**5,39,340**	**20,34,686**	**1,09,011**

ख. वित्त वर्ष 2021-22 से एनएपीएस के तहत नियोजित प्रशिक्षुओं की राज्यवार संख्या

राज्य	**वित्त वर्ष 21-22**	**वित्त वर्ष 22-23**	**वित्त वर्ष 23-24**	**वित्त वर्ष 24-25**	**वित्त वर्ष 25-26 (30जून 2025 तक)**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9	41	48	199	44
आंध्र प्रदेश	15,722	16,203	21,701	22,075	6,534
अरुणाचल प्रदेश	18	42	65	66	40
असम	14,007	9,661	8,173	5,802	2,576
बिहार	6,476	5,543	5,317	5,502	1,129
चंडीगढ़	813	671	1,228	1,692	329
छत्तीसगढ	2,631	4,875	5,249	5,362	1,593
दिल्ली	17,799	15,818	15,956	22,472	7,050
गोवा	3,432	4,406	11,882	11,774	3,015
गुजरात	69,569	76,226	83,956	90,818	25,467
हरियाणा	42,345	62,866	66,720	66,574	18,106
हिमाचल प्रदेश	5,670	6,825	10,212	9,266	2,651
जम्मू और कश्मीर	832	989	859	1,026	367
झारखंड	8,258	9,152	11,882	9,687	1,997
कर्नाटक	42,084	58,523	78,457	92,849	25,551
केरल	8,975	11,275	13,104	15,318	3,708
लद्दाख	18	28	66	50	11
लक्षद्वीप	4	9	6	8	1
मध्य प्रदेश	17,093	21,205	22,707	26,832	7,935
महाराष्ट्र	1,46,899	1,86,005	2,63,261	2,78,605	72,877
मणिपुर	90	32	18	187	5
मेघालय	117	181	212	328	29
मिजोरम	4	4	12	146	85
नागालैंड	27	22	15	24	6
ओडिशा	8,296	10,458	10,755	10,757	3,713
पुदुचेरी	1,090	1,343	2,469	4,269	1,552
पंजाब	11,659	15,361	14,761	15,509	4,698
राजस्थान	9,473	15,204	18,230	22,328	7,362

सिक्किम	308	202	298	439	174
तमिलनाडु	49,929	72,311	1,01,553	1,01,805	34,795
तेलंगाना	38,454	31,821	37,775	34,019	10,211
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,282	1,006	2,878	3,570	1,155
त्रिपुरा	244	368	383	449	104
उत्तर प्रदेश	38,042	56,946	71,505	78,968	24,384
उत्तराखंड	9,986	16,436	21,058	22,889	7,602
पश्चिम बंगाल	18,791	26,109	29,538	23,368	8,453
कुल	**5,90,446**	**7,38,167**	**9,32,309**	**9,85,032**	**2,85,309**

ग. वित्त वर्ष 2021-22 से पीएमजीदिशा के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
		प्रशिक्षित	प्रशिक्षित	प्रशिक्षित
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	113	2292	417
2	आंध्र प्रदेश	4,03,327	4,58,029	3,17,067
3	अरुणाचल प्रदेश	55	3,900	6,417
4	असम	2,09,863	39,140	24,303
5	बिहार	11,48,267	12,25,733	7,14,451
6	छत्तीसगढ	22,095	16,482	19,992
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	839	8,119	7,763
8	गोवा	5,726	45,945	201
9	गुजरात	3,92,727	2,80,278	2,25,260
10	हरियाणा	1,34,806	68,674	8541
11	हिमाचल प्रदेश	98,146	1,08,253	1,29,046
12	जम्मू और कश्मीर	1,36,830	1,66,199	1,23,561
13	झारखंड	2,37,226	3,10,038	1,71,472
14	कर्नाटक	1,66,128	4,39,052	11,94,180
15	केरल	2,424	14,464	77,928
16	लद्दाख	19,895	495	39
17	लक्षद्वीप	17	0	0
18	मध्य प्रदेश	10,07,830	6,94,769	81,107
19	महाराष्ट्र	9,99,047	15,10,186	4,26,845
20	मणिपुर	847	10,223	1,506
21	मेघालय	30,767	12,291	4,319
22	मिजोरम	1,709	13,075	2,290
23	नागालैंड	233	1,016	3,811
24	ओडिशा	3,05,467	4,43,092	27,5,995
25	पुदुचेरी	1,971	2,575	2,660

26	पंजाब	1,99,030	16,4,577	32,376
27	राजस्थान	7,79,490	7,73,203	5,29,008
28	सिक्किम	1520	19,203	1,768
29	तमिलनाडु	2,39,532	2,80,533	2,07,605
30	तेलंगाना	1,48,425	3,13,582	2,57,543
31	त्रिपुरा	1,32,254	2,401	0
32	उत्तर प्रदेश	24,18,999	12,47,488	2,30,418
33	उत्तराखंड	1,46,950	1,38,064	1,146
34	पश्चिम बंगाल	3,95,331	3,99,560	2,41,901
	कुल	**97,87,886**	**92,12,931**	**53,20,936**

नोट: *पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रशिक्षण आधिकारिक तौर पर 31 मार्च, 2024 को संपन्न हुआ।*

अनुबंध-II

वित्त वर्ष 2021-22 से पीएमकेवीवाई**, पीएम-एनएपीएस और पीएमजीदिशा के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की लिंग-वार संख्या**

योजना	लिंग	वित्त वर्ष 21-22/सत्र 2021	वित्त वर्ष-22-23/सत्र 2022	वित्त वर्ष-23-24/सत्र 2023	वित्त वर्ष-24-25/सत्र 2024
पीएमकेवीवाई (30 जून 2025 तक)	**पुरुष**	3,10,268	1,00,171	2,57,504	9,49,569
	महिला	3,05,751	1,10,997	2,81,830	1,194,124
	ट्रांसजेंडर	21	2	6	4
पीएम-एनएपीएस (30 जून 2025 तक)	**पुरुष**	4,66,511	5,89,239	7,35,438	9,72,191
	महिला	1,24,005	1,48,983	1,96,914	2,98,152
	ट्रांसजेंडर	2		5	9
पीएमजीदिशा	**पुरुष**	56,26,659	57,28,061	36,40,096	-
	महिला	41,60,998	34,84,773	16,80,782	-
	ट्रांसजेंडर	229	97	58	-

नोट: *एनएपीएस के तहत डेटा नियोजित प्रशिक्षुओं के लिए है और पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रशिक्षण आधिकारिक तौर पर 31 मार्च, 2024 को संपन्न हुआ था।*

अनुबंध-III

वित्त वर्ष 2021-22 से पीएमकेवीवाई, पीएम-एनएपीएस और पीएमजीदिशा के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की श्रेणी-वार संख्या

योजना	वर्ग	वित्तीय वर्ष 21-22/सत्र 2021	वित्तीय वर्ष-22-23/सत्र 2022	वित्तीय वर्ष-23-24/सत्र 2023	वित्तीय वर्ष-24-25/सत्र 2024
पीएमकेवीवाई (30 जून 2025 तक)	अनुसूचित जाति	76,813	31,889	79,853	3,31,277
	अनुसूचित जनजाति	51,624	18,282	40,501	1,15,577
	अन्य पिछड़ा वर्ग	2,38,075	83,813	2,13,227	9,84,567
पीएमकेवीवाई (30 जून 2025 तक)	अनुसूचित जाति	71,667	85,044	1,10,957	1,54,353
	अनुसूचित जनजाति	25,484	30,658	41,784	60,589
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1,63,948	2,07,957	2,75,125	3,79,985
पीएमजीदिशा	अनुसूचित जाति	16,90,455	14,80,940	6,98,042	-
	अनुसूचित जनजाति	8,34,393	7,33,389	4,82,368	-
	अन्य पिछड़ा वर्ग	39,33,041	36,44,580	18,88,683	-

नोट: *एनएपीएस के तहत डेटा लगे हुए प्रशिक्षुओं के लिए है और पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रशिक्षण आधिकारिक तौर पर 31 मार्च, 2024 को संपन्न हुआ था ।*
